**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1026**

**3 दिसम्‍बर, 2012 को उत्‍तर के लिए**

**बॉक्साइट की खानें निजी कम्पनियों को आवंटित करना**

**1026. श्री राम कृपाल यादव:**

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत में निजी कम्पनियों को बॉक्साइट की खानें आवंटित की थी और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो वे खानें कौन-कौन सी हैं तथा उन कम्पनियों से कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ग) क्या बॉक्साइट की ये खानें निजी कम्पनियों को तरजीही आधार पर अथवा नीलामी के आधार पर आवंटित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल)**

(क): भारतीय खान ब्‍यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11, और 2011-12 के दौरान बाक्‍साइट और सम्‍बद्ध खनिजों के लिए निजी कंपनियों को तीन खनन पट्टे स्‍वीकृत किए गए । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पट्टे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दिए जाते हैं । इन पट्टों का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| खनिज  | राज्‍य/जिला  | गांव  | क्षेत्र हैक्‍ट. में  | अनुदान की तारीख  | अवधि वर्षों में  | नाम तथा पता  |
| बाक्‍साइट एवं सम्‍ब्‍द्ध खनिज  | मध्‍य प्रदेश, कटनी  | तिकरिया  | 4.01  | 18.06.2009  | 20  | श्रीमती अरूना देवी बजाज, कटनी, मध्‍य प्रदेश  |
| बाक्‍साइट  | महाराष्‍ट्र, रत्‍नागिरी  | गुड्डेघर  | 91.58  | 20.07.2010 | 20 | इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर लोजिस्‍टिक प्रा.लि. गोवा  |
| बाक्‍साइट  | मध्‍य प्रदेश, कटनी  | पडवार  | 25.82  | 12.09.2011 | 30  | कटनी मिनिरल्‍स प्रा. लि. मध्‍य प्रदेश  |

(ख): खानों से प्राप्‍त राजस्‍व संबंधी सूचना को केन्‍द्रीय स्‍तर पर नहीं रखा जाता है । तथापि, आईबीएम द्वारा उपलब्‍ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान बाक्‍साइट के लिए राज्‍य सरकारों द्वारा एकत्रित राज्‍य वार रॉयल्‍टी नीचे दी गई है:

 (लाख रू. में )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष**  | **छत्‍तीसगढ़**  | **गोवा**  | **गुजरात**  | **झारखंड**  | **कर्नाटक**  | **मध्‍य प्रदेश**  | **महाराष्‍ट्र**  | **ओड़िसा**  | **तमिलनाडु**  |
| 2008-09 | 1772.30 | 67.17 | 1537.76 | 1241.27 | 136.45 | 930.00 | 1417.44 | 3914.17 | 215.64 |
| 2009-10 | 1539.75 | 44.77 | 1949.32 | 1754.46 | 113.49 | 1746.00 | 1594.64 | 4892.69 | 17.43 |
| 2010-11 | 2602.54 | 35.05 | 1478.00 | 2124.75 | 39.23 | 985.61 | 2231.25 | 5618.19 | 25.36 |

(ग) एवं (घ) : खान मंत्रालय के पास उपलब्‍ध सूचना के अनुसार, उक्‍त प्रस्‍ताव खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(2) के तहत संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा संस्‍तुत किए गए थे और तदनुसार इन मामलों की उचित जांच के पश्‍चात अधिनियम के तहत यथोपेक्षित केन्‍द्र सरकार का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*